निर्वाचक द्वारा घोषणा

—के लिए निर्वाचन (यह केवल तभी प्रयुक्त किया जाएगा जब निर्वाचक स्वयं घोषणा हस्ताक्षरित करे)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह निर्वाचक हूं जिसे उपरोक्त निर्वाचन के लिए क्रम संख्या.................वाला मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर,

तारीख..............................

पता..............................

हस्ताक्षर का सत्यापन।

उपरोक्त घोषणा.................(निर्वाचक), जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और जिसकी पहचान मेरे समाधानप्रद रूप में.................(पहचानकर्ता) द्वारा जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरी उपस्थिति में हत्ताक्षरित की गई है।

सत्यापन करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई है

पदनाम..............................
पता..............................
'तारीख..............................

प्ररूप 37

(नियम 64(2) देखें)

रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना का पत्र

सेवा में

रिटर्निंग ऑफिसर,

..............................नगरपालिका,

जिला......................................।

श्रीमान जी,

मैं...नगरपालिका में निर्वाचन डियूटी (कार्य) पर एक मतदाता हूं और मेरा नाम नगरपालिका की वार्ड संख्या.............................के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या.....................पर दर्ज है ।

मैं उक्त नगरपालिका के होने वाले निर्वाचन में वार्ड संख्या.......................में अपना मतदान करना चाहता हूं । इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे मतदान पत्र जारी किया जाए ।

भवदीय,

स्थान.....................................

तारीख...................................

मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र के लिए लिफाफा – 'क'

क

गणना से पूर्व नहीं खोला जाएगा

———निर्वाचन क्षेत्र से

——— (नगरपालिका के कार्यालय का नाम, जिसके लिए निर्वाचन किए जा रहे हैं) के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचन डियूटी (कार्य) मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या———

"साक्षरता का नव प्रकाश,
निरक्षरता का करे विनाश"

निर्वाचन डियूटी कार्य मतपत्र के लिए बड़ा लिफाफा -'ख'

ख. निर्वाचन–गणना से पूर्व तुरन्त मतदान डियूटी (कार्य)मतपत्र लिफाफे को नहीं खोला जाएगा

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर,
निर्वाचन क्षेत्र से—
(नगरपालिका के कार्यालय का नाम जिसके लिए निर्वाचन किए जा रहे है) के लिए निर्वाचन ।

प्रेषक के
हस्ताक्षर.................

रिटर्निंग ऑफिसर, यहां नगरपालिका के सही निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरें ।

उपाबन्ध–'क'

निर्वाचकों के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश
(नगरपालिकाओं के निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाने वाला)

....................से................के लिए निर्वाचन ।

इसके साथ भेजे जा रहे जिन व्यक्तियों के नाम मतपत्र पर मुद्रित हैं, उपरोक्त निर्वाचन के अभ्यार्थी हैं। अपना मत अभ्यर्थी जिसे आप अपना मत देना चाहते है के नाम के सामने स्पष्टतया निशान (चिन्ह) लगाकर रिकार्ड करें।

निशान चिन्ह इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जिससे स्पटतयाः और संदेह से परे उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आप अपना मत दे रहे हैं। यदि इस प्रकार लगाया गया निशान (चिन्ह) जिससे यह सन्देहप्रद प्रतीत होता है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है, आपका मत अविधिमान्य होगा ।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या स्मरण रखें कि आपका केवल एक ही मत है। इस लिए आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते है तो आपका मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

अपने मत को रिकार्ड करने के अपेक्षित निशाान (चिन्ह)से अन्यथा, मतपत्र पर चाहे जो भी हो अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द या निशान या चिन्ह या कुछ न लिखें ।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गए चिन्हित छोटे लिफाफे "क" में रखें। लिफाफे को सील द्वारा या अन्य किसी प्रकार से इसे बन्द करना सुनिश्चित करें ।

इसके बाद आप धोषणा को हस्ताक्षरित कर सकते हैं।

घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और अपने हस्ताक्षर के सत्यापित किए जाने के पश्चात्, घोषणा को और चिन्हित छोटे लिफाफे क को बड़े लिफाफे चिन्हित ,ख में रखें। बड़े लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से परिदत करें।

आपको चिन्हित लिफाफे "ख" में उपबन्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने होंगे ।

निर्वाचन की समुचित विभिष्टियां यहां अन्तःस्थापित करें ।

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लिफाफे को रिटर्निंग ऑफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को————————से पूर्व——————को परिदत्त कर दिया है।

कृपया नोट करें कि–

(i) यदि आप उपरोकत उपदर्शित रीति में अपनी घोषणा सत्यापित करने या प्रमाणित करने में असफल रहते हें, तो आपका मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा ; और

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निग ऑफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को ------------------------के पश्चात-------------को प्राप्त होता है, तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी ।

(यहां पर मतों की गणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट की जाए।) ।"।